

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88/2023/

दिनांक :

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय नर्सिंग स्कूल,
राजस्थान।

विषय :- जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में छात्र-छात्राओं हेतु फीस लिये जाने हेतु अकाउण्ट खुलवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में राजकीय नर्सिंग संस्थानों में जीएनएम प्रशिक्षणार्थियों से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.33(01)चिस्वा/गुप-3/2022 पार्ट जयपुर दिनांक 21.10.2022 की छात्रा प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः सभी राजकीय नर्सिंग संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 की काउंसलिंग से आवंटित छात्र-छात्राओं से प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट को अग्रिम आदेश तक सम्बन्धित राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के खाते में जमा करने का श्रम करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(डॉ० विरेन्द्र कुमार)

उप निदेशक (नर्सिंग)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज. जयपुर

दिनांक : 20/10/2023

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88/2023/72.

प्रतिलिपि प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।



उप निदेशक (नर्सिंग)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज. जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प. 33(01)चिस्वा/ग्रुप-3/2022-पार्ट

जयपुर दिनांक : 21-10-2022

—:संशोधित आदेश:-

राजकीय नर्सिंग स्कूलों हेतु फीस प्रावधान में संशोधन इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.33(01)चिस्वा/ग्रुप-3/2022-पार्ट जयपुर दिनांक 07.10.2022 द्वारा किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है:-

Particular	Boys Gen, OBC (Creamy layer) candidates	SC, ST, MBC, EWS, OBC (Non-Creamy layer) Boys & Female candidates
	(Rs)	(Rs)
Tuition Fees	7,000	2,800
Library Fees Sports Fees	1,000	400
Sports Fees	1,000	400
Student Welfare Development Fund	1,000	400
Total Rs	10,000	4,000

उपरोक्त फीस में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
उपरोक्त संशोधन सत्र 2022-23 से प्रभावी होंगे।

— 3d —

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 मुख्यालय, राज0 जयपुर।
4. निदेशक (जनस्वास्थ्य/अरोजपत्रित), चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल, राज0 जयपुर।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल।
7. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज0 जयपुर।
8. समस्त सदस्यगण को पालनार्थ।

3

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन सहायक सचिव

(P.T.O.)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/एम-12/2022/ 562

दिनांक : 21/10/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. मिशन निदेशक, NHM, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
04. निदेशक(जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
05. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल, राजस्थान।
06. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
07. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में अपलोड करने का श्रम करे।

उप निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

21/10/22

21/10/22